समक्ष □□ □□ □□□□□, □

भाग मल ऐव अन्य - □□□□□□□□□/ □□□□□□□□□ □□□□

□□□ □□□□ □□ **ऐव** □□□□, ---

□□□□/□□□□□□□□□□

आर.एस.ए. □. *1985* □□ *153*

3 □□□□□, 2004

पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, *1953*-एस.*2(3)*-हरियाणा भूमि-जोत सीमा अधिनियम, *1972*-एस.*14*- एक बड़े भूस्वामी की भूमि को अधिशेष घोषित किया गया- उक्त भूमि का अपीलकर्ता/प्रतिवादी को आवंटन- भूमि मालिक के पुत्रों द्वारा चुनौती - ट्रायल कोर्ट ने वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया - प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए कहा कि अधिशेष भूमि के आवंटन से पहले *1972* अधिनियम की धारा *14* के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था- धारा *14* के प्रावधान एक सक्षम अधिकारी को सशक्त बनाते हैं चकबंदी के बाद भूमि स्वामी द्वारा प्राप्त अधिशेष क्षेत्र को अलग करने के लिए - धारा *14* के प्रावधानों के अनुसार इच्छुक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक है - अधिशेष क्षेत्र को अलग करने के लिए धारा *14* के तहत न तो कोई प्रक्रिया शुरू की गई और न ही वादी/प्रतिवादियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन - अपील खारिज, प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश बरकरार रखा गया।.

निर्धारित किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि चकबंदी *31* अगस्त, *1961* और *11* फरवरी, *1963* के आदेशों के बाद हुई है, जिसमें बिहारी की भूमि को अधिशेष घोषित किया गया है। आगे यह पाया गया कि *1972* अधिनियम की धारा *14* द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है क्योंकि *20* अप्रैल, *1978* तक भूमि का उपयोग नहीं किया गया था। *20* अप्रैल, *1978* को उपमंडल अधिकारी, सिरसा ने *1972* अधिनियम के तहत निर्धारित/आवंटन प्राधिकरण का प्रयोग करके किरायेदार/अपीलकर्ताओं को भूमि आवंटित की है। अधिनियम *1972* की धारा *14* के अनुसार, एक सक्षम अधिकारी को चकबंदी के बाद प्राप्त भूस्वामी के अधिशेष क्षेत्र को अलग करने का अधिकार है।.

(□□□□ 13)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया कि *1972* अधिनियम की धारा *14* के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि एक सक्षम अधिकारी जो अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने के लिए सशक्त है, वह अधिशेष क्षेत्र को अलग कर सकता है यदि भूमि मालिक के पास संयुक्त भूमि है और ऐसी भूमि का उसका हिस्सा को अधिशेष घोषित किया गया। उपरोक्त प्रक्रिया एक संक्षिप्त पूछताछ और इच्छुक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद शुरू की जानी चाहिए। धारा *14* की उपधारा *2* के अनुसार, यदि अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के बाद और उसके उपयोग से पहले भूमि चकबंदी की प्रक्रिया के अधीन हो गई है तो सक्षम अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों के समेकन के बाद प्राप्त हुई भूमि क्षेत्र में से

अधिशेष क्षेत्र को अलग करने का अधिकार है। उपर्युक्त प्रावधान ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बाहर नहीं किया है जिसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि वादी-प्रतिवादी जैसे इच्छुक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।.

(□□□□ 14)

□□. □□. □□□□□, □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□.

□□□□□ □□, □□□□□□□□□□ □□□□ 1 □□ 3 □□ 6 □□ 8 □□ □□□ □□□□.

□□. □□. □□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ 4 □□ 5 □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□.

<u>निर्णय</u>

ए□. ए□. □□□□□, □.

(1) यह प्रतिवादी की अपील है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षिप्तता के लिए, संहिता) की धारा 100 के तहत दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिरसा द्वारा पारित 11 अक्टूबर, 1984 के फैसले और डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसके तहत वादी- उत्तरदाता की अपील स्वीकार कर ली गई थी और उप-न्यायाधीश द्वारा पारित 25 मई, 1982 के फैसले और डिक्री को यह कहते हुए उलट दिया गया

कि उत्तरदाता @ प्रतिवादी नंबर 4 यानी उप-मंडल अधिकारी (सिविल), सिरसा द्वारा हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 (संक्षिप्तता के लिए, 1972 अधिनियम) के तहत निर्धारित/आवंटन प्राधिकरण का प्रयोग करते हुए 20 अप्रैल, 1978 को पारित किया गया आदेश शून्य था। इसके परिणामस्वरूप, वादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (अब उनके एलआर द्वारा प्रस्तुत) के मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में किया गया और प्रतिवादी-उत्तरदाता संख्या 4 को कार्यवाही पूरी होने के बाद मुकदमे की भूमि का 1972 अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के हिसाब से नए सिरे से उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई।

---

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि बिहारी लाल वादी-प्रतिवादी, अर्थात् राम मूर्ति, मंजीत और धनराज के पिता थे। 8 फरवरी, 1978 को उनका निधन हो गया था। उन्हें एक बड़ा भूमि मालिक घोषित किया गया और तदनुसार, 31 अगस्त, 1961 (पी-5) के आदेश के तहत, कलेक्टर, हिसार ने उनकी 40.95 साधारण एकड़ भूमि को अधिशेष घोषित कर दिया। 11 फरवरी, 1963 के एक अन्य आदेश (पी-4) द्वारा 23.99 साधारण एकड़ के अन्य क्षेत्र को अधिशेष घोषित किया गया। उपरोक्त घोषणा पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम, 1953 (संक्षिप्तता के लिए, 1953 अधिनियम) की धारा 2(3) के प्रावधानों के अनुसरण में की गई थी, जो बड़े भूमि मालिक को

60 साधारण एकड़ का अनुमेय क्षेत्र को धरण रखने का अधिकार देता है।.

(3) 8 फरवरी, 1978 को उनके पिता की मृत्यु के बाद, वादी-उत्तरदाता, जो बिहारी के बेटे हैं, उन्हे उनके पिता की भूमि समान हिस्सों में विरासत में मिली और उत्परिवर्तन उनके पक्ष में स्वीकृत किया गया था। इसलिए, यह दावा किया गया है कि वे प्रोफार्मा उत्तरदाताओं संख्या 6 से 8 के माध्यम से जमीन के मालिक हैं, जो मूर्तहीन हैं। प्रतिवादी-उत्तरदाता नंबर 4 यानी उपमंडल अधिकारी (सिविल) ने 1972 अधिनियम के तहत निर्धारित और आवंटन प्राधिकरण की दी गई आधरों का प्रयोग करते हुए हरियाणा अधिशेष और अन्य क्षेत्रों प्रयोग की योजना, 1976 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी-अपीलकर्ता को वाद-भूमि आवंटित की (संक्षिप्तता के लिए, यह योजना)। वादी-उत्तरदाताओं ने 22 मई, 1979 को एक सिविल सूट संख्या 203-सी, 1979 दायर किया, जिसमें 20 अप्रैल, 1979 के आदेश को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी @ अपीलकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी-उत्तरदाता संख्या 4 कब्जे में हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहा था और अपने कब्जे के साथ और मुकदमे की जमीन पर मालिकाना हक का दावा भी कर रहे थे। वादी-उत्तरदाताओं द्वारा एक घोषणा की मांग की गई है जिसमें दावा किया गया है कि वे मुकदमे की भूमि के मालिक हैं और प्रतिवादी-उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 20 अप्रैल, 1978 का आदेश शून्य और अमान्य था.

(4) □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□ □. 4 □□ 5 (□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□) □□ □□□ जवाब दावा □□□□ □ कर □□ उनके बचाव को रद्द कर दिया गया. □□□□□□□□□ □□□□□□ 6 □□ 8 □□ के मुरथीन हैं उन्होंने □□□ □□□□ लड़ा।

(5) मुकदमा केवल प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं द्वारा लड़ा गया था, जो अधिशेष भूमि के आवंटी हैं। अपने जवाब दावे में उनके द्वारा लिया गया रुख यह है कि एक बार वाद भूमि को अधिशेष घोषित कर दिए जाने के बाद, यह 24 जनवरी, 1971 से राज्य सरकार में निहित हो गई थी और याचिकाकर्ताओं-प्रतिवादियों को वाद भूमि से कोई सरोकार नहीं था। केवल इस तथ्य से कि उनके पिता बिहारी की मृत्यु 8 फरवरी 1978 को हुई थी, 24 जनवरी 1971 को राज्य सरकार के स्वामित्व में निहित होने के बाद वाद भूमि का स्वामित्व अधिकार राज्य सरकार से छीन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने योजना के तहत भूमि आवंटन के 20 अप्रैल 1978 के आदेश का समर्थन किया। उपरोक्त आधार पर, यह तर्क दिया गया कि अधिशेष क्षेत्र या वादी-प्रतिवादी की स्थिति को नए सिरे से निर्धारित करने का कोई सवाल ही नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि किसी भी मामले में सिविल कोर्ट को मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(6) इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, कि क्या उप मंडल अधिकारी (सिविल) द्वारा पारित दिनांक 20 अप्रैल, 1978 का

आदेश रद्द किया जा सकता है, सिविल जज ने माना कि आदेश में कोई कानूनी खामियां नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1972 अधिनियम की धारा 26 और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा बनाई गई रोक के मद्देनजर, सिविल कोर्ट के पास मुकदमे पर विचार करने और किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपने निष्कर्ष के आधार पर, सिविल जज ने वादी-प्रतिवादियों के मुकदमे को खारिज कर दिया.

(7) अपील में, अपीलीय अदालत ने 20 अप्रैल, 1978 के आदेश के खिलाफ उठाए गए चुनौती के विभिन्न आधारों को खारिज कर दिया। हालांकि, यह एक आधार रखा है कि योजना के तहत अधिशेष क्षेत्र को प्रतिवादी- अपीलकर्ता को आवंटित करने से पहले 1972 अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। विद्वान अपीलीय न्यायालय के अनुसार, वाद भूमि का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे चकबंदी के बाद अलग नहीं किया जाता क्योंकि यह भूमि संयुक्त खेवट में थी। संक्षिप्त जांच के बाद और ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति को उचित अवसर देने के बाद भूमि के मालिक का हिस्सा अलग किया जाना था। अपीलीय न्यायालय के दृष्टिकोण को फैसले के पैरा 12 से समझा जा सकता है जो निम्नानुसार है: –

> "विचार करने पर मुझे वादी पक्ष के विद्वान वकील की इस दलील में दम नजर आया क्योंकि, स्वीकृत है, कि जब बिहारी लाल के हाथों की भूमि को अधिशेष

घोषित किया गया था तो वह पुराने खसरा नंबर में थी और संयुक्त खेवट में थी। वाद भूमि जो अब प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को आवंटित की गई है, स्वीकृत है, कि वह वर्ग और किला संख्या में है। जैसे कि इसका उपयोग करने से पहले सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम 1972 की धारा 14 के तहत कार्यवाही करने की आवश्यकता थी जो कि पंजाब भूमि स्वामित्व सुरक्षा अधिनियम की धारा 24 में निहित प्रावधानों के अनुरूप हैं, लेकिन वर्तमान मामले में ओडब्ल्यू-11 लारी चंद पटवारी का बयान बताता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही कभी नहीं की गई, हालांकि उन्होंने एक खाली पंजीकृत लिफाफे और उपयोगिता फ़ाइल पर उपलब्ध एक फटे हुए नोटिस के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि ऐसी कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी। उनके बयान से पता चलता है कि फ़ाइल पर अधिनियम, 1972 की धारा 14 के तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश नहीं है। उनके बयान से यह भी पता चलता है कि उक्त फ़ाइल पर ऐसा कोई आदेश नहीं है कि वास्तव में ऐसा कोई नोटिस दिया गया था और यह था मना कर लौटा दिया. पंजीकृत लिफाफे में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के गांव का डाक टिकट नहीं है, केवल सिरसा का डाक टिकट है। लिफाफे पर अनुमोदन "अस्वीकार" में

किसी भी तारीख के किसी भी पोस्ट के हस्ताक्षर नहीं दिखाए गए हैं। फटे हुए नोटिस पर सक्षम अधिकारी की फाइल का डिस्पैच नंबर अंकित नहीं है। संक्षेप में, उपरोक्त से यह पता चलता है कि वाद भूमि का उपयोग करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम, 1972 की धारा 14 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की और इस प्रकार उस आधार पर दिनांक 20 अप्रैल, 1978 का आवंटन आदेश शून्य और अमान्य है और पलटने योग्य है। यह सही है कि उक्त आदेश को इस आधार पर अमान्य घोषित करने से वादीगण को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है क्योंकि वाद की भूमि उन्हें वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि वह 24 जनवरी, 1971 से पहले से ही राज्य सरकार में निहित हो चुकी है, लेकिन यह अपने आप में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित 20 अप्रैल 1978 के आक्षेपित आदेश को बनाए रखने का कोई आधार नहीं है। अधिनियम, 1972 की धारा 14 में निहित प्रावधान अनिवार्य है और केवल निर्देशिक नहीं है और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है."

(8) प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एल.एन. वर्मा ने तर्क दिया है कि वादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट तिथि यानी 23 दिसंबर, 1972 के बाद भूमि राज्य

सरकार में निहित हो गई थी। विद्वान वकील के अनुसार, राज्य सरकार में निहित हो चुकी वाद भूमि के संबंध में किसी विरासत का दावा नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रस्ताव के लिए, विद्वान वकील ने **जसवन्त कौर बनाम हरियाणा राज्य, (1)** के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। विद्वान वकील ने फैसले के पैरा 8 में पूर्ण पीठ द्वारा की गई टिप्पणी पर भरोसा किया और तर्क दिया कि 23 दिसंबर, 1972 को भूमि राज्य सरकार में निहित होने के बाद, वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने विरासत का अधिकार खो दिया था। यह। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि बिहारी की मृत्यु निर्दिष्ट तिथि के काफी बाद 8 फरवरी, 1978 को हुई थी और उनके द्वारा 31 अगस्त, 1961 (पी-5) और 11 फरवरी, 1963 (पीबी4) के आदेशों को उनके जीवनकाल के दौरान कोई चुनौती नहीं दी गई थी। जीवनभर। इसलिए, दोनों आदेश अंतिम रूप ले चुके हैं। विद्वान वकील ने कहा है कि वादी-प्रतिवादियों द्वारा दायर वर्तमान मुकदमे में भी, 31 अगस्त, 1961 और 11 अगस्त के आदेश को कोई चुनौती नहीं है।

(9) विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि एक बार 23 दिसंबर 1972 को या बड़े जमीन मालिक की मृत्यु से बहुत पहले जो वर्ष 1978 में हुई थी, अधिशेष भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई है, उसके बाद वादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विरासत में मिलने के लिए कुछ भी नहीं

था। इसलिए, अधिशेष घोषित की गई भूमि के संबंध में वादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा, जो बड़े भूमि स्वामी के पुत्र हैं, कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका। उपरोक्त प्रस्ताव के लिए, विद्वान वकील ने **भारत भूषण बनाम हरियाणा राज्य**, (2) के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया है। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य में भूमि के निहित होने के बाद, वह योजना के तहत इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है और उसके बाद, वादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त प्रस्ताव के लिए, विद्वान वकील ने **सुरिंदर नाथ दीवान बनाम हरियाणा राज्य**, (3) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है। विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 के पास यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उनके पिता बिहारी 60 सामान्य एकड़ के बजाय 30 मानक एकड़ भूमि के हकदार थे क्योंकि अपने जीवनकाल के दौरान बिहारी ने 31 अगस्त, 1961 और 11 फरवरी, 1963, पी-5 और पी-4 क्रमशः के आदेशों को चुनौती नहीं दी थी। विद्वान वकील ने कहा कि इन आदेशों को वादी-उत्तरदाताओं द्वारा भी चुनौती नहीं दी गई है।

(1) 1977 □□.□□.□□. 230

(2) 1990 पी अल आ 563

(3) 1994 पी अल ज 252

(10) उन्होंने तब प्रस्तुत किया कि 20 अप्रैल, 1978 के आदेश को अब इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अधिशेष क्षेत्र को 1972 अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार चकबंदी के बाद अलग किया जाना आवश्यक था। विद्वान वकील के अनुसार, मुकदमा स्पष्ट रूप से कालबाधित होगा क्योंकि 20 अप्रैल, 1978 के आदेश को परिसीमन अधिनियम, 1963 से जुड़ी अनुसूची के अनुच्छेद 100 के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर चुनौती दी जा सकती थी, जो 20 अप्रैल 1979 को समाप्त हो गया, जबकि मुकदमा 20 मई, 1979 को दायर किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि 1972 अधिनियम की धारा 26 सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करती है और इसलिए, मुकदमा स्वयं में ही सुनवाई योग्य नहीं था। उन्होंने **हरियाणा राज्य बनाम वी इनोद कुमार (4)** के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा जताया है। उन्होंने **आजाद बनाम धर्मपाल (5)** के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और **राधा बाई बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (6)** के मामले में इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा किया है। विद्वान वकील ने आगे बताया कि वादी-उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 को किसी भी पक्षपात का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि वे 31 अगस्त, 1961 और 11 फरवरी, 1963 के दिन, जब भूमि अधिशेष घोषित करने वाले ये आदेश पारित किए गए थे, को बिहारी के साथ सह-हिस्सेदार नहीं थे। विद्वान वकील के अनुसार, किसी भी तरीके से, 1972 अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही करने में

विफलता एक मात्र अनियमितता थी और केवल उस आधार पर अपीलीय प्राधिकारी को धारा 99 के अनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को उलट नहीं देना चाहिए था। संहिता का. विद्वान वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि 20 अप्रैल, 1978 का आदेश योजना के पैरा 13 के साथ-साथ अधिनियम की धारा 18 के तहत एक अपीलीय आदेश है।

(11) हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री बी.बी. गुप्ता ने प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण का समर्थन किया है और तर्क दिया है कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने **राम स्वरूप बनाम एस.एन. मायरा, (7), धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य, (8)** और **काली राम बनाम आशा चौधरी, (9)** के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है।

---

(4) 1986 □□.□□.□□. 161

(5) 1998 (2) □□.□□.□□. 407

(6) 1997 (1) □□.□□.□□. 481

(7) 1991 (1) □□.□□.□□. 1 1

(8) 2002 (1) □□.□□.□□. 175

(9) 2000 (2) □□.□□.□□. 13

इसीलिए उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वादी-उत्तरदाता संख्या 1 से 3 का मुकदमा खारिज किए जाने योग्य है जैसा कि विद्वान सिविल न्यायाधीश ने सही ठहराया है और अपीलीय न्यायालय का निर्णय उलटने योग्य है।

(12) वादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान वकील □□□□ □□□□□ □□ ने तर्क दिया है कि एक बार भूमि 1953 अधिनियम के तहत अधिशेष घोषित कर दी गई थी, फिर, वादी-प्रतिवादियों का अलग-अलग हिस्सा समेकन होने के बाद 1953 अधिनियम की धारा 24-ए के तहत निर्धारित किया जाना था। विद्वान वकील ने कहा है कि 1972 अधिनियम की धारा 14 लागू नहीं होगी। उपरोक्त प्रस्ताव के लिए, विद्वान वकील ने **पंजाब राज्य (अब हरियाणा) बनाम मौजी (10)** के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले और **परम ए नंद बनाम राज्य हरियाणा (11)** के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भरोसा किया है। विद्वान वकील ने इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा जताया है **मुंशी सिंह बनाम एस.डी.एम. रेवरी (12)** मामले, पुनः यह तर्क देने के लिए कि अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के बाद और उसके उपयोग से पहले, यदि भूमि को चकबंदी की प्रक्रिया के अधीन किया गया है, तो, सक्षम अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को चकबंदी के बाद उसे प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल में से अधिशेष क्षेत्र को अलग करना होगा। विद्वान वकील के अनुसार भूमि को अधिशेष घोषित करने के आदेश की तिथि के बाद चकबंदी संचालन के परिणामस्वरूप भूमि धारकों को घटाव का सामना करना पड़ा है, तो, कलेक्टर को भूमि धारक के अनुमेय क्षेत्र और अधिशेष क्षेत्र को फिर से निर्धारित करना होगा। उपरोक्त प्रस्ताव के लिए,

विद्वान वकील ने **चेर राम और अन्य बनाम कलेक्टर (13)** के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

(13) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मेरा मानना है कि यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि चकबंदी 31 अगस्त, 1961 और 11 फरवरी, 1963 के आदेशों के बाद हुई है, जिसमें बिहारी की भूमि को अधिशेष घोषित किया गया है। आगे यह पाया गया है

(10) 1977 □□.□□.□□. 16
(11)1997 (2) □□.□□.□□. 654
(12)1963 □□.□□.□□. 133
(13)1969 □□.□□.□□. 579

कि 1972 अधिनियम की धारा 14 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है क्योंकि भूमि का उपयोग 20 अप्रैल, 1978 तक नहीं किया गया है (उदा. पी-1)। 20 अप्रैल, 1978 को, उपमंडल अधिकारी, सिरसा ने 1972 अधिनियम के तहत विहित/आवंटन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किरायेदार/अपीलकर्ताओं को भूमि आवंटित की है। अधिनियम 1972 की धारा 14 के अनुसार, एक सक्षम अधिकारी को चकबंदी के बाद प्राप्त भूमि, स्वामी के अधिशेष क्षेत्र को अलग करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 14 इस प्रकार पढ़ी गई:

" क्षेत्राधिकार के शेयरों को अलग करने की शक्ति- (1) जहां भूस्वामी अन्य भूस्वामियों के साथ संयुक्त रूप से भूमि का मालिक है और ऐसी भूमि का उसका हिस्सा या उसके हिस्से का हिस्सा अधिशेष क्षेत्र के रूप

में घोषित किया गया है, या किया जाना है, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के लिए सक्षम अधिकारी, या जहां ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया है, इसका उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, संक्षिप्त पूछताछ के बाद और ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, अन्य भूस्वामियों के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली भूमि में से ऐसी भूमि का हिस्सा या उसका हिस्सा अलग कर सकता है।

(2) जहां किसी व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के बाद और उसके उपयोग से पहले, उसकी भूमि चकबंदी की प्रक्रिया के अधीन हो गई है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसे व्यक्तियों के अधिशेष क्षेत्र को समेकन के बाद प्राप्त भूमि के क्षेत्रफल से अलग करने के लिए सक्षम होंगे।

(14) उपरोक्त उत्पादित प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि एक सक्षम अधिकारी जो अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने के लिए सशक्त है, वह अधिशेष क्षेत्र को अलग कर सकता है यदि भूमि मालिक के पास संयुक्त रूप से भूमि है और ऐसी भूमि का उसका हिस्सा अधिशेष घोषित किया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया एक संक्षिप्त पूछताछ और इच्छुक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद शुरू की जानी चाहिए। धारा 14 की उपधारा 2 के अनुसार, यदि अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के बाद और उसके उपयोग से पहले भूमि को चकबंदी की प्रक्रिया के अधीन किया गया है, तो सक्षम अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों के अधिशेष क्षेत्र को भूमि के क्षेत्र

से अलग करने का अधिकार है जो उसे समेकन के बाद प्राप्त हुआ। उपर्युक्त प्रावधान ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बाहर नहीं किया है, जिसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि वादी-प्रतिवादी जैसे इच्छुक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मोहिन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, (14)** और **मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (15)** के मामलों में निर्धारित किया गया है। इसलिए, मेरा विचार है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री किसी भी कानूनी कमजोरी से ग्रस्त नहीं है।

(15) यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि 1953 अधिनियम या किसी अन्य पंजाब कानून के तहत एक बार अधिशेष क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो एक भूमि मालिक। उसी के निर्धारण की मांग नहीं कर सकता है क्योंकि अधिशेष क्षेत्र निर्दिष्ट तिथि यानि 23 दिसंबर, 1972 पर राज्य में निहित हो गया है। मामले में विवाद अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा **भागवंती देवी बनाम हरियाणा राज्य, (16) अमर सिंह बनाम अजम एर सिंह, (17) और राम स्वरूप बनाम एस.एन. मायरा (18)** सुलझा लिया गया है। हालाँकि, धारा 14 एक स्थिति का प्रावधान करती है, यदि अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के बाद चकबंदी हो और भूमि का उपयोग नहीं किया गया हो तो इस प्रकार चकबंदी के बाद स्वामी द्वारा प्राप्त भूमि से अधिशेष क्षेत्र को अलग करना होगा। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णय लागू नहीं होंगे. यह तर्क कि 1972 के अधिनियम की धारा 26 द्वारा बनाई गई रोक के

मद्देनजर वादी-प्रतिवादियों का मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं था, को किसी भी विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अगर एक बार यह पाया जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, और धारा 14 के तहत अधिशेष क्षेत्र को अलग करने की प्रक्रिया में कोई सुवायी का अवसर नहीं दिया तो फिर, **वी इन ओडी कुमार के मामले (सुप्रा)** में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ का फैसले लागू होगा और 1972 अधिनियम की धारा 26 द्वारा बनाई गई रोक के बावजूद मुकदमा कायम रहेगा। जहां वादी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन और कानून के प्रावधानों की अनियंत्रित अवहेलना की शिकायत करता हो वहाँ यह नहीं माना जा सकता है कि सिविल कोर्ट ने उन मामलों में अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क कि यह संहिता की धारा 99 द्वारा प्रदान की गई एक मात्र अनियमितता है या 1972 अधिनियम की धारा 26 के आधार पर क्षेत्राधिकार वर्जित है, पूरी तरह से गलत धारणा होगी।

(14) एआईआर 1978 एस. सी. 851

(15) एआईआर 1978 एस. सी. 597

(16) एआईआर 1994 एस. सी. 1869

(17) 1994 □□□□□□□□ 6 (3) □□.□□.□□. 213

(18) 1999 (1) □□.□□.□□. 738

यहाँ न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने **कटिकारा चिंताम अनी डोरा बनाम गुआट्रेड्डी अन्नम अनैदु, (19)** और **मेसर्स काम**

अला मिल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ बॉम बे, (20) के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों पर भरोसा जताया। उपरोक्त दोनों निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आधिकारिक रूप से माना गया है कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार दो सीमाओं के अधीन है:- (ए) सिविल न्यायालय अभी भी उन मामलों की जांच करने के क्षेत्राधिकार का आनंद लेगा जहां एक क़ानून के प्रावधानो का अनुपालन नहीं किया गया है या वैधानिक न्यायाधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप काम नहीं किया है, (बी) सिविल कोर्ट यह भी सटीक जांच करने का हकदार है कि वैधानिक न्यायाधिकरणों की शक्तियाँ किस हद तक विशिष्ट हैं।

(17) □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□, यह □□□□ □□□ □□: –

> " इस आधिकारिक घोषणा के सामने किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि यदि कोई आदेश, संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किए बिना सीमित क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया तो वह आदेश अमान्य होगा और सिविल न्यायालय में चुनौती देने योग्य रहेगा, भले ही क़ानून स्पष्ट रूप से ऐसे न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती देने के लिए एक मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालय

के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाता हो। । इस प्रश्न पर **धूलाभाई आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 78** मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एक बार फिर विचार किया गया और विद्वान मुख्य न्यायाधीश के निर्णय में निहित सात सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया था। **मैसर्स कमला मिल (सुप्रा)** के मामले में की गई टिप्पणियों का दायरा और निर्धारित नियम बेंच के विशेष विचार के तहत आया और यह देखा गया कि विशेष बेंच (**मैसर्स कमला मिल** के मामले में) ने किसी भी तरह से **मास्क कंपनी के मामले 67 इंड. एप 222 (= ए.आई.आर., 1940 पी.सी. 105)** की उक्ति स्वीकार करने से परहेज किया या इसे अस्वीकार करते हुए यह आशय दिया कि भले ही अधिकारियों के निर्णय को अंतिम बनाने वाले प्रावधान द्वारा क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया हो, सिविल न्यायालयों के पास उन मामलों की जांच करने का क्षेत्राधिकार है जहां विशेष अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया। क़ानून के प्रावधानों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में विशेष क्षेत्राधिकार के न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई करने के सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इस प्रकार बरकरार रखा गया, भले ही सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ट्रिब्यूनल के

आदेशों की वैधता पर सवाल उठाने का स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया था।"

(19) ए आई आर 1974 एस सी 1069

(20) ए आई आर एस सी 1942

(18) उपरोक्त के मद्देनजर धारा 26 से संबंधित निर्णय जिस पर विद्वान राज्य वकील द्वारा भरोसा किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होगा। सिद्धांत और उदाहरण के आधार पर, यह स्थापित है कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा भी उस मामले में सिविल मुकदमे पर विचार करने के लिए विस्तारित नहीं होगी जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या वैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा की गई है।

(19) □□□□ तर्क यह भी है कि वादी@प्रतिवादियों द्वारा दायर किया गया मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है, लेकिन यह तर्क योग्यता से रहित है क्यूंकी से पता चलता है कि यह मुद्दा पहले कभी नहीं उठाया गया था। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णयों के एक अवलोकन पता चलता है की ना यह मुद्दा पहले उठाया गया था और ना ही इसकी जांच की गई थी. यह सर्वविदित है कि सीमा अवधि से संबंधित प्रश्न तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है, जिसे पार्टियों द्वारा उचित साक्ष्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। उपरोक्त प्रस्ताव के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **बनारसी दास बनाम कांशीराम (21)** का मामला पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष

अवधि के संबंध में प्रश्न पहली बार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

(20) □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□.

(21) □□□□□□□ □□□□□□ □□, □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□ती □□. □□□□□□□, इस मामले के □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□, □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ नहीं देता हूँ.

---

(22) एआईआर 1963 □□.□□. 1165

□□□□□□□□ : □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □

□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
(Trainee Judicial Officer)
□□□□□, □□□□□□□